कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

(वेब परिचालन)

सं° पेंशन /सुप्रीम कोर्ट /जजमेंट/एच पी एम/2022/406 दिनांक :- 23.04.2023

सेवा में,

सभी अपर के° भ° नि° आयुक्त, आंचलिक कार्यालय
सभी क्षे° भ° नि° आयुक्त/प्र° अ°, क्षेत्रीय कार्यालय

विषय :- विकल्प/संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए आवेदन - कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी और वेतन विवरण की जांच – के संबंध में।

महोदया/महोदय,

कृपया सुनील कुमार बी बनाम अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के संबंध में दिनांक 29.12.2022, 05.01.2023, 25.01.2023 और 20.02.2023 के परिपत्रों के माध्यम से जारी निर्देश देखें। यह परिपत्र उपर्युक्त परिपत्रों के माध्यम से पूर्व में दिए गए निर्देशों की निरंतरता में जारी किया गया है।

2. इसके अलावा, एक ऑनलाइन सुविधा भी दी गई है और नियोक्ताओं के माध्यम से निम्नलिखित की प्राप्ति के लिए 03.05.2023 तक उपलब्ध है:

i. 01.09.2014 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से संयुक्त विकल्प के सत्यापन हेतु आवेदन पत्र एवं

ii. उन कर्मचारियों से संयुक्त विकल्प प्रपत्र जो 01.09.2014 को सदस्य थे।

3. आवेदन/संयुक्त विकल्पों की जांच फील्ड द्वारा की जाएगी। यदि औपचारिकताएं पूरी की गई हैं, तो नियोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत वेतन विवरण को फील्ड कार्यालयों के पास उपलब्ध डेटा से सत्यापित किया जाएगा। ऐसे मामले जहां फील्ड कार्यालय के विवरण और नियोक्ता के विवरण मेल खाते हैं, बकाया की गणना की जाएगी और बकाया जमा / स्थानांतरित करने के लिए स°भ°नि°आ°/ क्षे°भ°नि°आ° -II / क्षे°भ°नि°आ° –I द्वारा एक आदेश पारित किया जाएगा। जिन मामलों में कोई विसंगति है, उसकी सूचना स°भ°नि°आ°/क्षे°भ°नि°आ°-II द्वारा नियोक्ता और कर्मचारी/पेंशनभोगी को दी जाएगी। इस विसंगति को दूर करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।

4. यदि प्रस्तुत आवेदन पत्र/संयुक्त विकल्प को नियोक्ता द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो किसी भी अस्वीकृति से पहले, नियोक्ता को कोई अतिरिक्त सबूत या साक्ष्य प्रदान करने या किसी भी गलती/त्रुटियों (कर्मचारियों/पेंशनभोगियों द्वारा की गई सहित) को सही करने का अवसर दिया जाएगा। ऐसा अवसर एक माह की अवधि के लिए होगा और कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को सूचित किया जाएगा।

5. ऐसे मामलों में जहां दी गई जानकारी सही नहीं है या गलत लगती है या आवेदन/संयुक्त विकल्प फॉर्म में किसी भी जानकारी में सुधार की आवश्यकता है या योग्य नहीं पाया गया है, स°भ°नि°आ° /क्षे°भ°नि°आ° -II एक महीने के भीतर कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को सूचित करते हुए नियोक्ताओं से जानकारी मांगेगा। यदि समस्त जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उपर्युक्त 3 के अनुसार मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि, यदि एक महीने के भीतर पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो स°भ°नि°आ°/ क्षे°भ°नि°आ° -II / क्षे°भ°नि°आ° –I द्वारा मैरिट के आधार पर आदेश पारित किया जाएगा।

6. **शिकायत निवारण:** आवेदक की कोई भी शिकायत उसके अनुरोध प्रपत्र को जमा करने और देय योगदान, यदि कोई हो, के भुगतान के बाद ईपीएफआईजीएमएस पर दर्ज की जा सकती है। ऐसी शिकायत का पंजीकरण सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के संदर्भ में उच्च पेंशन की निर्दिष्ट श्रेणी के तहत किया जाएगा। ऐसी शिकायतों का समाधान एवं निस्तारण नामित अधिकारी के स्तर पर किया जाएगा। शिकायतों की निगरानी क्षेत्रीय कार्यालय और आंचलिक कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(के°भ°नि°आ° के अनुमोदन से जारी)

भवदीया,

ह./-
(अपराजिता जग्गी)
क्षेत्रीय भ° नि° आयुक्त-I (पेंशन)

प्रतिलिपि :-

1. कें.भ.नि.आ. के नि.स.
2. वित्तीय एवं मुख्य लेखाधिकारी को सूचनार्थ।
3. अ.के.आ. (मुख्यालय) (ऑडिट) – को सूचनार्थ।
4. अ.के.आ. (मुख्यालय) (आईएस) को सूचनार्थ।
5. सभी अ.के.आ. (मुख्यालय) और मुख्यालय स्थित अ.के.आ. को सूचनार्थ।